राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या **9387/2022**

योगेश कुमार सैनी पुत्र समय सिंह सैनी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम भाऊपारा पोस्ट खोह, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य-सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर, के माध्यम से।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बाडमेर।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री योगेश कुमार सैनी, स्वयं
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री सी.एल. सैनी, एएजी

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

<u>निर्णय</u>

<u>14/03/2023</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना गया और अतिरिक्त महाधिवक्ता भी प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित हुए और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने विज्ञापन संख्या 01/2021-22 दिनांक 31.12.2021. के अनुसार एलडी/सीपी विकलांग श्रेणी के तहत शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर अपनी नियुक्ति का दावा पेश किया है।

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र दिनांक 13.01.2020 (अनु.-4) के अनुसार, यह सिद्ध

होता है कि याचिकाकर्ता लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है और उसके निदान में, उसका मामला दाहिने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली के विच्छेदन के मामले में और यह प्रमाणित किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने दाहिने हाथ में 41% स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है और उन्होंने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) 2021 में 127 अंक हासिल किए हैं; प्रश्नगत पद के लिए अंतिम चयन सूची दिनांक 02.05.2022 (अनुक्रम-9) में, एलडी/सीपी विकलांग श्रेणी के तहत अंतिम कट-ऑफ अंक 125 अंक है, इसलिए, याचिकाकर्ता अंतिम कट-ऑफ की तुलना में योग्यता में अधिक है नियुक्ति का पात्र हालाँकि, प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई है। याचिकाकर्तागण का कहना है कि प्रत्यर्थीगण ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से याचिकाकर्ता को दस्तावेजों के सत्यापन के चरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 13.05.2022 (एएनएन-10) के माध्यम से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रत्यर्थीगण के मेडिकल बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता की स्थायी विकलांगता केवल 35% पाई गई है, जो आवश्यक बेंचमार्क विकलांगता 40% से कम है। याचिकाकर्ता ने कार्यालय आदेश दिनांक 13.05.2022 को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी याचिकाकर्ता का विकलांगता प्रमाणपत्र, जो 41% स्थायी विकलांगता दर्शाता है, वैध है और चूंकि याचिकाकर्ता ने अंतिम कट की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। -एलडी/सीपी की श्रेणी में अंकों में कटौती, इस श्रेणी में याचिकाकर्ता को नियुक्ति न देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

4. रिकॉर्ड के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका का नोटिस जारी होने पर, प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान एएजी ने नोटिस स्वीकार कर लिया और दोनों पक्षों की उपस्थिति में और **एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6852/202 मेघा दवे बनाम राजस्थान राज्य,** अंतरिम आदेश दिनांक 18.05.2022, **एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 5931/2022 में पारित: प्रधान पीठ जोधपुर द्वारा उषा तमोलिया बनाम राजस्थान** उच्च न्यायालय में 12.07.2022 को पारित अंतरिम आदेश पर अवलंब किया है।

"इस बीच, याचिकाकर्ता 19.07.2022 को अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल

जयपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो सकता है और मेडिकल बोर्ड को दावे के अनुसार विकलांगता की जांच करने और इस न्यायालय को अपेक्षित रिपोर्ट सीलबंद कवर में भेजने की आवश्यकता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता आदेश के अनुसार मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि प्रत्यर्थी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र सही है। कार्यालय को अनुपालन के लिए इस आदेश की प्रति अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल, जयपुर को भेजने का निर्देश दिया जाता है।"

5. ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के निर्देशों के तहत, अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता की शारीरिक विकलांगता की जांच करने के लिए छह विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया। मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की जांच की, जो इस न्यायालय के आदेश के अनुसार मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और मेडिकल बोर्ड ने बताया कि याचिकाकर्ता लोकोमोटर विकलांगता, दाहिने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली के विच्छेदन से पीड़ित है और 45% स्थायी विकलांगता से पीड़ित है। प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई मेडिकल बोर्ड की दिनांक 27.07.2022 की रिपोर्ट को इस न्यायालय ने दिनांक 23.09.2022 के आदेश के माध्यम से रिकॉर्ड पर लिया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, जिसमें याचिकाकर्ता की स्थायी विकलांगता 40% की बेंचमार्क विकलांगता से ऊपर है, इस न्यायालय ने दिनांक 23.09.2022 के आदेश के तहत प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता की श्रेणी में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया।

6. प्रत्यर्थीगण द्वारा 22.12.2022 को दायर रिट याचिका के उत्तर में, यह विवादित नहीं है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद के लिए विज्ञापन दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के लिए याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया था और विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति की श्रेणी में चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन के लिए उसे जिला परिषद, जिला बाड़मेर आवंटित किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, कुछ उम्मीदवारों के शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणपत्र में हेरफेर और जालसाजी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र/आदेश

दिनांक 09.05.2022 के अनुसार पत्र जारी किया गया था। 36 अभ्यर्थियों के शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणपत्र की जांच करने और उनकी विकलांगता का सत्यापन करने के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा गया है। इसके अनुसरण में, सीएमएचओ, जिला बाड़मेर के तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की विकलांगता की जांच की और याचिकाकर्ता की स्थायी शारीरिक विकलांगता 35% पाई। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार गठित तीन चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र उत्तर क्रमांक-2 के साथ संलग्न है। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता की शारीरिक विकलांगता 40% से कम है, इसलिए, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई और उसका नाम सूची/कार्यालय आदेश में सही ढंग से सूचीबद्ध किया गया था। दिनांक 23.05.2022 (एएनएन-10) और ऐसी दलील के साथ रिट याचिका में याचिकाकर्ता की प्रार्थना का प्रत्यर्थीगण द्वारा विरोध किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी याचिकाकर्ता के विकलांगता प्रमाणपत्र पर अवलंब किया गया है।

7. शुरुआत में प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि इस न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें क्षेत्र के छह विशेषज्ञ शामिल थे, ने याचिकाकर्ता की विकलांगता की जांच की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में याचिकाकर्ता की शारीरिक विकलांगता 45% पाई गई है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई मेडिकल बोर्ड की दिनांक 27.07.2022 की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और मेडिकल बोर्ड की इस रिपोर्ट पर किसी भी पक्ष द्वारा प्रश्न नहीं उठाया गया है। जब 23.09.2022 को मेडिकल बोर्ड की मूल रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 को रिकॉर्ड पर लिया गया, तो इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे।

8. ज्ञात हो कि विज्ञापन दिनांक 31.12.2021 के कंडिका 12.5 में दर्शाया गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगजनों को आरक्षण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 के अनुसार उपलब्ध होगा और

उम्मीदवारों को आरक्षण राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2018 (इसके बाद "2018 के नियम") के अनुसार दिया जाएगा। 2018 के नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि नियम 2 (i) में, "अधिनियम" का अर्थ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद "2016 का अधिनियम") और नियम 2 (ii), "प्रमाणपत्र" का अर्थ वह प्रमाणपत्र है प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र 2016 के अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा 1 में संदर्भित 2016 के अधिनियम का अध्याय 10, निर्दिष्ट विकलांगता के प्रमाणीकरण से संबंधित है। 2016 के अधिनियम की धारा 100 के अनुसार, केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है, जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 (इसके बाद "2017 के नियम") और धारा 101 के तहत राजपत्र में तैयार और अधिसूचित किया गया है। 2016 के अधिनियम में नियम बनाने की शक्तियां राज्य के पास हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किया गया है, जिसे राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 कहा जाता है।

9. 2016 के अधिनियम की धारा 2 (आर), "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति" को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार है:

> "2(आर) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें 40% से कम निर्दिष्ट विकलांगता नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाला व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी प्रमाणित करे।"

10. 2016 के अधिनियम की धारा 58, विकलांगता का प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रदान करती है और धारा 59 प्रमाणन प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील के प्रावधान की परिकल्पना करती है। इसी तरह का प्रावधान 2017 के नियमों के तहत निहित है। 2017 के नियमों का नियम 19 इस प्रकार है:

> "19. **नियम 18 के तहत जारी किया गया प्रमाणपत्र आम तौर पर सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा:-** जिस व्यक्ति को नियम 18 के तहत जारी किया गया प्रमाणपत्र सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषित सरकारी संगठन।" स्वीकार्य सुविधाओं, रियायतों और लाभों के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

11. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता लोकोमोटर की स्थायी विकलांगता से पीड़ित है, जिसमें दाहिने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली के विच्छेदन का मामला है। राजस्थान सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 13.01.2020 को एक विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता की विकलांगता 41% (अनुक्रम-4) प्रमाणित की गई है, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा सीएमएचओ, जिला बाड़मेर के अधीन मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है ने भी याचिकाकर्ता की समान विकलांगता देखी है लेकिन विकलांगता प्रमाणपत्र 35% (एन-आर/2) का जारी किया गया है।

12. यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र दिनांक 13.01.2020 को कभी अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी या तदनुसार अधिनियम 2016 के साथ-साथ 2017 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपास्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थीगण ने उत्तर में यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि याचिकाकर्ता के विकलांगता प्रमाणपत्र दिनांक 13.01.2020 के संबंध में किस प्रकार का अनुपालन प्राप्त हुआ था। प्रत्यर्थीगण ने सर्वव्यापी कथन में कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों के शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणपत्रों में हेरफेर और जालसाजी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सामान्य प्रकृति की गुमनाम शिकायतों के आधार पर, और अधिनियम/नियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान सरकार द्वारा जारी याचिकाकर्ता के विकलांगता प्रमाणपत्र को बिना किसी चुनौती के, प्रत्यर्थीगण ने एक नए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है। जिला स्तर पर याचिकाकर्ता की शारीरिक विकलांगता का सत्यापन और पुनः परीक्षण करने के लिए और ऐसे मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर, सीएमएचओ, बाड़मेर के डॉक्टरों से याचिकाकर्ता की विकलांगता को 35% दर्शाते हुए, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को नजर अंदाज कर दिया गया है।

इस समय, यह उल्लेख करना उचित होगा कि **अनादु बनाम राजस्थान राज्य: और अन्य एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 104/2020** के मामले में उच्च न्यायालय के विद्वान एकलपीठ ने संबंधित रिट याचिकाओं पर दिनांक 15.12.2020 के निर्णय के

तहत निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे की जांच की गई है कि क्या प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के अधीन करना प्रत्यर्थीगण के लिए उचित था। न्यायालय ने मामले में लागू नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए कहा कि "इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चयन से पहले चिकित्सा परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए की जानी आवश्यक थी, जिन्होंने विकलांगता/पीएच श्रेणी के तहत आवेदन किया था और उनके पास योग्यता नहीं थी।" सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, लेकिन यदि उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र है, तो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी। इस सादृश्य पर, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता का 41% विकलांगता प्रमाणित करने वाला और राजस्थान सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाणपत्र को इस तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए और जब तक कि जाली नहीं पाया जाता है या नहीं किया जाता है। कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त किया गया, वैध रहता है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

13. इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि जब इस न्यायालय के निर्देशों के तहत, छह विशेषज्ञों वाले एक मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की पहचान और जांच के बाद दिनांक 27.07.2022 को एक रिपोर्ट दी थी कि याचिकाकर्ता 45% विकलांगता से पीड़ित है और पीएच के तहत पात्र है। श्रेणी, मेडिकल बोर्ड की ऐसी रिपोर्ट को भी स्वीकृति और उचित विश्वसनीयता दी जानी आवश्यक है। यह सच है कि इस न्यायालय को सरकार के सक्षम प्राधिकारी या भर्ती एजेंसी के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा/सत्यापन करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी या प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठना चाहिए और इसमें न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। वैधानिक नियमों के तहत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति की स्वस्थ्यता/विकलांगता के आकलन से संबंधित मामलों में रिट क्षेत्राधिकार के तहत शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट रूप से बेहद सीमित है, फिर भी, पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। उपयुक्त मामलों में, अन्याय की घटना को रोकने और आरक्षण की योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए, न्यायालयों के लिए न्यायिक अनुमति के मापदंडों के भीतर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करना खुला है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के दो परस्पर विरोधी विकलांगता प्रमाणपत्रों,

एक राजस्थान सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और दूसरा प्रत्यर्थीगण के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, के मद्देनजर, इस न्यायालय ने पहले ही रिकॉर्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्तियों का प्रयोग किया है, निर्देश जारी किए हैं दिनांक 12.07.2022 के आदेश द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा; इसके अलावा, याचिकाकर्ता की विकलांगता की जांच करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरकारी अस्पताल द्वारा छह विशेषज्ञों वाले मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, दिनांक 27.07 की मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज करने और खारिज करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। 2022, विशेष रूप से तब जब किसी भी पक्ष द्वारा इस पर प्रश्न नहीं उठाया गया हो।

14. यह न्यायालय, मेडिकल बोर्ड की दिनांक 27.07.2022 की रिपोर्ट पर अवलंब करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता की विकलांगता 45% देखी गई है, दाहिने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा में विच्छेदन की समान लोकोमोटर विकलांगता है जैसा कि दोनों मेडिकल में देखा गया है। एक प्रमाणपत्र याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया (अनुबंध-4) और दूसरा प्रत्यर्थीगण (अनुबंध-2) द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया, उनकी सुविचारित राय है कि दिनांक 27.07.2022 की इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी, याचिकाकर्ता पात्र और दिनांक 27.07.2022 की मेडिकल बोर्ड की ऐसी रिपोर्ट भी दिनांक 31.12.2021 के विज्ञापन के अनुसार शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर नियुक्ति के लिए विकलांग/पीएच व्यक्तियों की श्रेणी में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए स्वीकार करने योग्य है, इसे उचित विश्वसनीयता दिए जाने और प्रामाणिक माने जाने की आवश्यकता है।

15. यह न्यायालय **विभाष राज बनाम भारत संघ [2007 (2) बीएलजेआर 2250]** के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपनी राय का समर्थन पाता है जिसमें उच्च न्यायालय ने न्यायालय के निर्देशों के तहत नवगठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए रिट याचिका की अनुमति दी। यहां तक कि रिपोर्ट के खिलाफ प्रत्यर्थीगण की आपत्ति को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि एक बार याचिकाकर्तागण की दोबारा जांच के लिए नए मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए न्यायालय द्वारा आदेश जारी करते समय प्रत्यर्थीगण ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी

और नए मेडिकल बोर्ड ने निर्देशों के संदर्भ में इसकी रिपोर्ट और अब पूरी कवायद पूरी हो चुकी है। नवगठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को चुनौती देना प्रत्यर्थीगण के लिए खुला नहीं है। **2021 के MAT संख्या 83: कौशिक पॉल बनाम भारत संघ** कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 10.03.2021 के निर्णय पर भी अवलंब किया जा सकता है जिसमें न्यायालय के आदेशों के तहत गठित मेडिकल बोर्ड के प्रमाणपत्र को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया था और ऐसे प्रमाणपत्र को उचित विश्वसनीयता और विश्वसनीयता देने के बाद, प्रत्यर्थीगण को नियुक्ति के लिए अपीलार्थी-याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, यदि अन्यथा योग्य है।

16. निर्णय देने से पहले, यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देना उचित समझता है कि मौजूदा मामले में, इस न्यायालय ने दिनांक 12.07.2022 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की शारीरिक विकलांगता की जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश जारी किए थे। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में और **मेघा दवे (सुप्रा.)** के मामले में पारित दिनांक 26.05.2022 के अंतरिम आदेश पर अवलंब करने के बाद यह देखा जा सकता है कि उस रिट याचिका में, न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा उस पर अवलंब किया गया था, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता की शारीरिक विकलांगता मेडिकल बोर्ड द्वारा 4% के रूप में दी गई थी, इसलिए रिट इस एकमात्र आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश के तहत गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर अवलंब किया गया। इसी प्रकार, **उमा तमोलिया (सुप्रा.)** के मामले में, जिसमें न्यायालय के दिनांक 18.05.2022 के अंतरिम आदेशों के अनुपालन में, एम्स जोधपुर में गठित मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की जांच के बाद राय दी कि याचिकाकर्ता की विकलांगता 1.3% थी, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.07.2022 के आदेश के तहत गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका को अंततः खारिज कर दिया; केवल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर अवलंब करते हुए उसकी शारीरिक विकलांगता 40% से कम बताई गई है।

17. यहां ऊपर की गई चर्चा और कारणों के लिए, इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने आरईईटी 2021 में 127 अंक हासिल किए हैं और पीएच श्रेणी

एलडी/सीपी में अंतिम कट ऑफ अंक 125 अंक रहे, जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता योग्यता में उच्च स्थान पर है और नियुक्ति का पात्र है। एक पद पहले ही खाली रखने का निर्देश दिया गया था, इसलिए, प्रत्यर्थीगण को पीएच एलडी/सीपी श्रेणी में शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर याचिकाकर्ता को तत्काल नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाता है। इसके द्वारा यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण जैसे काल्पनिक सेवा लाभ वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की अंतिम चयन सूची दिनांक 02.05.2022 में कम मेधावी व्यक्ति को नियुक्ति की तारीख से दिए जाएंगे। हालाँकि याचिकाकर्ता को वास्तविक लाभ उसकी नियुक्ति की तारीख से दिया जाएगा। कोई लागत नहीं।

18. रिट याचिका उपरोक्त शर्तों पर सफल और स्वीकार की जाती है।

19. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

NITIN/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।